Date of Application for the copy	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	Date of delivery of the requisite stamp & folios	Date on which the copy was ready for delivery	Date of making over the copy to the applicant
23/7/18	23/7/18	23/7/18	24/7/18	24/7/18

FOLIO NOT AVAILABLE

स्थायी प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 1578

खाता नं० 463 .... वार्ड सं० 10 .... जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

थाना सं० ... तौजी सं० ... परगना ...

गाँव / मौहल्ला / थाना / पट्टी

स्वत्वधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या
मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसकी खेवट संख्या यदि हो — बिहार सरकार

खतियान की क्रम सं०	अधिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत: खेसरा संख्या	खेत: चौहद्दी	भूमि का स्वरूप	रकबा ए० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है: राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	बन्दोबस्त प्रचलित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	(1) अधियोगी रैयत का हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार निर्धारित किया गया, आदि की (प्रीमियम हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्तें और अनुषंगिक बात यदि हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
463	शंकर प्रसाद तथा नाजूराम पिता ज्ञान चन्द्र अंश समान	1578 a		मकान-कच्चा	0.00.50				नोट सी.एन.टी. एक्ट धारा-85(3)(ii) के मुकदमा -5 सन 1998-99 के आदेशानुसार 332 रु० पैसे (तीन सौ बत्तीस रुपये पचहत्तर पैसे) अस्थायी लगान निर्धारित हुआ। निर्धारित लगान 1998-99 से वसूल होगा। ह० अपठनीय राजस्व पदाधिकारी
		b		मकान-कच्चा	0.00.30				
		c		दोनदो	0.82.80				
					0.83.60		ii) कायम-लगान		ii) अपठनीय

प्रतिलिपिक ह० 24-7-18

तुलना किया ह० 24/7/18

Certified to be True Copy
ह० 24/7/18
Head Clerk to the Settlement Officer
is authorised u/s 76 of the Indian Evidence Act, 1872

यह स्थायी अभिलेख छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 83(2) द्वारा विचार एवं उपनियम ... के अन्तर्गत तैयार हुआ और इसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 30 DEC 1980 को किया गया और दिनांक 8 JAN 1981 को ... हुआ

ह० अपठनीय
बन्दोबस्त पदाधिकारी
सिंहभूम